40

ZONE (P II)

AC (PLG) MPPR
Dairy No. 285
Date 10/05/12

R&D CELL
VIKAS SADAN VC
Dy. No. 2393
Date 8/5/12

Copy to ;-

1. L.G. DELHI

   RAJ PUR ROAD , DELHI -110054

2. VICE CHAIRMAN DDA

   VIKAS SADAN INA NEW DELHI

3. TOWN PLANNER MCD

   CIVIC CENTER , NEW DELHI

4. TOWN PLANNER URBAN DEVELOPMENT

   DEPT. , NEW DELHI

5. REPRESENTATIVE OF GURU GOVIND SINGH

   I. P. UNIVERCITY , NEW DELHI

6. ADDL. SECRETARY (UC) CHAIRMAN

   NEW DELHI

7. REPRESENTATIVE OF DSSDI

   , NEW DELHI

8. REPRESENTATIVE OF A.S. I

   , NEW DELHI

9. REPRESENTATIVE OF FOREST DEPTT.

   , NEW DELHI

10. REPRESENTATIVE OF REVENUE DEPTT.

    , SHAM NATH MARG DELHI -110054

Commr. (Plg) - II
Despatch 1777
Date 9-5-12

1377-CD
8/5/12

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. 3023
Dated 12/5/11

Com (Plg) - II
8/5/2012
9/5/12
AC (MPPR)
10/5/2012
Dir (MPR)
16/5
A D (Plg) II

41

सेवा में,

श्रीमान शहरी विकास मन्त्री,

शहरी विकास मन्त्रालय-दिल्ली सरकार,

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,

नई दिल्ली-110002

विषयः मास्टर प्लान के सम्बन्ध में सुझाव एवं आपत्तियां।

महोदय

निवेदन यह है कि आपके मन्त्रालय की ओर से नवभारत टाइम्स हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 24 अप्रैल 2011 को वर्णित किया गया है। कि जिला उत्तरी दिल्ली के लिए सुझाव हेतु ओपन हाउस दिनांक 30 अप्रैल और 1 मई को आयोजित किया जा रहा है।

<u>मास्टर प्लान के पी -2 के अनुसार परस्तावित 60 मी0 चौडी रोड के विषय में तथ्य निम्न प्रकार हैः-</u>

Total · 14 Page

14

1 मास्टर प्लान पी–2 के अनुसार जो 60 मीटर चौडी सडक बुराडी बाईपास से शुरू होकर ओल्ड बागपत रोड जो पुरानी कैनाल है उसके उपर से जायेगी।

2 एम सी डी ने जो पी–2 प्लान तैयार किया है उसमें 60 मीटर चौडी सडक बुराडी बाई से बुराडी की तरफ चलकर अथॉरिटि के आगे जल बोर्ड के साथ धुमती है जो आगे चलकर ओल्ड बागपत रोड पुरानी कैनाल के उपर घुम जाती है।

3 इस रोड के बनने में अधिकतर जमीन दिल्ली जल बोर्ड व दूसरी तरफ सरकारी जमीन जिसे कस्टोडियन की जमीन कहते हैं इसतेमाल होगी ।

4 यह कस्टोडियन की जमीन हिमगिरी एन्कलेव में पडती है तथा इस जमीन में अवैघ प्लाट बनाकर कब्जे किये हुए है। इसलिए हिमगिरी एन्कलेव कॉलोनी के आर डब्लू ए ने कई डिपॉर्टमैंट जैसी की यू डी डिपॉर्टमैट एम सी डी टाउन प्लानिंग, डी डी ए और रैव्नयू डिपॉर्टमैंट आदि में आपत्ति दर्ज

कराई। और आपतियों में कहा है कि इस 60 मी0 चौडी रोड को पैप्सी रोड से निकाला जाये। ओर कहा कि पैप्सी रोड पर अधिकतर खाली प्लाट है और बडे-बडे गोदाम है जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरित है

<u>मास्टर प्लान के पी -2 के अनुसार परस्तावित 60 मी0 चौडी रोड के विषय में सुझाव निम्न प्रकार हैः-</u>

1 एम सी डी के पी-2 के अनुसार परस्तावित 60 मी0 चौडी रोड जिस प्रकार ओर जिस जगह दिखाई गई है वह सहि है ओर उसे उसी जगह रखा जाये । क्योकि उसी जगह रखने से उसके अन्दर अधिकतर जमीन एक साईड में दिल्ली जल बोर्ड व दूसरी साईड में सरकारी जमीन जिसे कस्टोडियन की जमीन कहते है जाती है। प्राईवेट जमीन 5% से 10% तक ही जायेगी।

2 उपरोक्त प्रसतावित रोड के उसी जगह रहने से किसी का कोई नुकसान नही होगा। क्योकिं कस्टोडियन जमीन के प्लाटों पर आबदी ही नही हैं केवल 5% से 10% ही आबादी हैं

3 कस्टोडियन के प्लाटों पर जो आबादी है वह भी अवैध कब्जे है।

4 प्रसतावित रोड में एक साईड से तो लगभग 80% जमीन जल बोर्ड ही जायेगी। जो सरकारी जमीन है जिससे किसी को कोई नुकसान नही है ।

5 प्रसतावित 60 मी0 रोड को एम सी डी के प्लान पी–2 के अनुसार ही रखा जाये । जैसा की एम सी डी के पी–2 के प्लान में दिखाया गया है।

<u>मास्टर प्लान के पी –2 के अनुसार परस्तावित 60 मी0 चौडी रोड के विषय में आपतियां निम्न प्रकार हैं:–</u>

11

1 हिमगिरी एन्कलैव के आर डब्यू ए में जो सुझाव प्रसतावित रोड के विषय में यू डी डिपॉर्टमैटं व अन्य डिपॉर्टमैटों मे जमा कराया है उन्हें स्वीकार न किया जाये।

2 हिमगिरी एन्कलैव के आर डब्ल्यू ए ने अपने सुझाव में प्रसतावित 60 मी0 चौडी रोड को प्यैसी रोड से ले जाने को कहा है। तथा साथ में कहा है कि वहां पर अधिकतर प्लाट खाली है और अधिकतर प्लाट गौदाम हैं ओर रिहयसी आबादी नही हैं जो कि बिल्कुल गलत है

<u>प्यैसी रोड की मौजूदा स्थिति निम्न इस प्रकार है:-</u>

1 प्यैसी रोड पर दोनों साईड में लगभग 75 से 80 दुकानें चल रही हैं जो लोग छोटे-छोटे काम करते है। ओर अपनी जीविका चलाते हैं

2 प्यैसी रोड के दोनों साईड में काफी संख्या में रिहायसी मकान व रिहायसी फैलेटैस भी है।

3 प्यैसी रोड के एक साईड में माता का भव्य मन्दिर है जिसमें सभी देवता स्थापित है तथा

दूसरी साईड में एक नव ग्रह व शनि मन्दिर है ये दोनों मन्दिर अति प्राचीन है तथा इलाके के लोंगों की आस्था से जुडें हैं काफी लोग दर्शन के आते है।

4 प्यैसी रोड के एक साईड में एक धर्मशाला है जिसमें इलाके के गरीब लोग अपने परिवार के शादी–विवाह् ओर दूसरे प्रोग्राम करते रहते है। इलाके के लोगों के लिए ये एक मात्र स्थान हैं।

5 प्यैसी रोड पर काफी साल पुराना एक यश विघा पब्लिक स्कूल चल रहा हैं जिसमें की इलाके के अधिकतर बच्चे इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

6 प्यैसी रोड पर एक साईड मे ब्लाइडं हॉस्टल हैं जिसमें कि बाहर से आये हुए ब्लाइडं विघार्थी रहते हैं।

निष्कर्ष :–

उपरोक्त लिखित प्यैसी रोड की मौजूदा स्थिति के अनुसार प्यैसी रोड निवासियों का यह सुझाव है कि

A7

मास्टर प्लान के अनुसार एम सी डी ने जो पी–2 के प्लान बनाया है ओर उसमें जो 60 मी0 चौडी प्रस्तावित रोड जिस जगह दिखाई है जो कि दिल्ली जल बोर्ड के साथ है उसे वहीं रखा जाये। यदि उसे प्यैसी रोड पर परिवर्तित किया गया तो प्यैसी रोड की मौजूदा स्थिति के अनुसार बहुत से लोग बेघर व बेरोजगार तथा बहुत से लोगों की आस्था को ठेस पहुँचेगी। क्योकि प्यैसी रोड के दोनो तरफ जो भव्य मन्दिर है वह भी तोडने पडेगें तथा इस के अलावा इलाके के गरीब बच्चें जो यश विघा पब्लिक स्कूल में पढते है जो कि प्यैसी रोड पर ही स्थिति है बिना शिक्षा के रह जायेगें ।

दिनांक :

प्रार्थी

Anil Gupta
9810219812

(1) Pushpa Rani
H.No. 69/A-1
Mini Civic Centre Burari Delhi

समस्त प्यैसी रोड निवासी
Sant Nagar
Burari

मंगल राम
रामलाल ठेकेदार
Praveen
VAB
योगेश चन्द
Ramsajeevan
शिवराम का.मा.श
Rajendra Kumar
RAJENDER GUPTA
आनन्द भा D.P
अनिल कुमार
जगदीश जैन
Babu Lal
प्रद्युम्न कौशिक
Raj Kumar
शेर सिंह
Rajesh - DP
संतोष कुमार
ASHISH Sh
शेख़ मिया
Deepak Gupta

सोहन पाल

राजकुमार

Sidharth

Rinki कुमारी

Dilawar Singh

[illegible]

शकर राम

पूर्णिमा गुप्ता

ध्यान

इन्द्र सिंह

शहजाद

[illegible]

[illegible]

मनमोहन सिंह रावत

राजपाल सिंह

रामकेश

Raju Singh

Phul chand/s

संतोष कुमार

(6)

देवेन्द्र शर्मा

बाबूराम शर्मा

Ajay

आलम

योगेन्द्र सिंह

ASOK Kumar

Kamal Kant

Vinod Pandey

सुरेश पाण्डे

राजेन्द्र शर्मा

T. K. Jain

Pandit

शिवनन्दन

राम सिंह

मक्खन पाल

पारस

जयपाल

अरविन्द सिंह

Harbans Singh

Ram Parkash

51

Tel: 23370326

No:F.15(29)08/NP 945

Dated: 08/07/2010

Sub: - Status of Unauthorized colonies, as per Survey of India Map under DSSDI Project
Ref: - Dir.(Plg.)UC/DDA/2010/7/D-324 dated 7/7/10.

Reference to above the status report of the seven unauthorized colonies in Zone P-II is as under :-

1. Vijay Colony (Regn.No. 507)

i) Location is not clear as no physical features/references has been shown.

ii) Configuration is not in conformity with L.O.P. submitted as per notification dated 24/03/08. (as shown on the plan).

2. Chandan Vihar (Regn No. 113)

i) As per Survey of India Plan, 60 MR/W ZDP road passes through part of the Colony with approx. 30 mt. deep.(Shown on the plan).

ii) However, the part configuration of the Colony is not in conformity with Layout Plan send by the Association as per notification dated 24/3/08. More plots have been added.

3. Ajit Vihar (Regn.329):

i)Northern part partly ~~on 30M R/W road (As shown on~~ the Plan).

ii) Configuration is not in conformity with plan submitted as per notification dated 24/3/08 and plots added on the Survey of India Plan.

4.Harit Vihar (Regn.843):

i) Part falls within proposed 60 MR/W road as per ZDP up to a depth of 30mt approx. (as shown on the plan).

ii) Configuration is not in conformity with plan submitted as per notification dated 24/3/08 and plots added on the Survey of India Plan.

~~4.~~ 5. Uttranchal Enclavae (Regn no. 233)

i) It appears there are certain additions in the Survey of India Plan. But not in hindrances. (Shown on the plan).

ii) No hindrances (as per earlier LOP submitted as per notification dated 24/3/08).

6. Nehru Gali Bhagat Colony (Regn No. 87)

i) Part falls on 30M R/W road and near H.T. Line

(A)

मास्टर प्लान पर ओपन हाउस में रखें बात

30 अप्रैल और 1 मई को नॉर्थ जिले से होगी शुरुआत, दे सकते हैं अपने सुझाव

पूनम पाण्डे ॥ नई दिल्ली

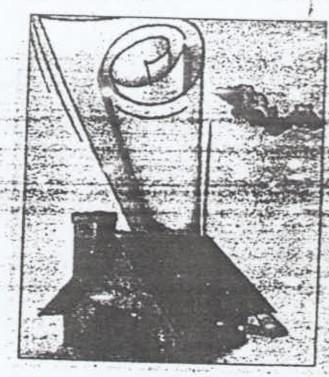

बदलेगा अपना शहर

- मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए डीडीए ने की ओपन हाउस की पूरी तैयारी
- एक्सपर्ट कमिटी के सामने रख सकेंगे सुझाव और दूसरों की राय भी जान सकेंगे
- शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से मिला था ओपन हाउस आयोजित करने का सुझाव

दिल्ली को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए बने मास्टर प्लान 2021 में अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं, तो एक्सपर्ट कमिटी के सामने अपने सुझाव रख सकते हैं। अब तक सुझाव लिखित में दिए जा रहे थे लेकिन अब ओपन हाउस में आप अपनी बात रख सकते हैं। यहां आप अपने सुझाव पर दूसरों की राय भी जान सकते हैं। डीडीए ने मास्टर प्लान की समीक्षा के लिए ओपन हाउस की तैयारी पूरी कर ली है। 30 अप्रैल और 1 मई को नॉर्थ जिले में ओपन हाउस आयोजित होगा। इसके बाद दूसरे जिलों में भी ओपन हाउस में लोगों की राय जानी जाएगी।

मास्टर प्लान-2021 में बदलाव के लिए करीब 2000 सुझाव आए हैं। खुद अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्टर कमलनाथ भी मान चुके हैं कि मास्टर प्लान सही नहीं बना है। कमलनाथ के मुताबिक, यह प्लान एसी कमरों में बैठकर बना दिया गया। इसमें लोगों की राय और उनके अनुभव को शामिल नहीं किया गया है और इसमें बदलाव की जरूरत है। डीडीए ने मास्टर प्लान रिव्यू का काम काफी समय से शुरू किया है, जिसके तहत एक्सपर्ट कमिटी बनाई गई है। ये अलग-अलग मसलों पर गौर कर रही है और देख रही हैं कि मास्टर प्लान में क्या बदलाव दिल्ली और दिल्ली के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में इसकी कई मीटिंग भी हो चुकी हैं। अब तक करीब 2000 लोग डीडीए के पास अपनी राय और सुझाव भेज चुके हैं, जिन पर कमिटी गौर कर रही है। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय की तरफ से ओपन हाउस आयोजित करने का सुझाव मिला था ताकि लोगों की राय जानी जा सके और उस पर बहस भी हो सके। नॉर्थ जिले से हम ओपन हाउस की शुरुआत कर रहे हैं। 30 अप्रैल को नॉर्थ-1 में ओपन हाउस होगा। मास्टर प्लान के मुताबिक, सिविल लाइंस, नरेला, नॉर्थ दिल्ली प्लानिंग जोन पर चर्चा होगी। इसके तहत मुख्य तौर पर मॉडल टाउन, आजादपुर, अलीपुर, डोयू, बुराड़ी, पल्ला, नरेला प्रोजेक्ट और जहांगीरपुरी कॉलोनी आती हैं। 30 अप्रैल को डीडीए के रोहिणी प्रोजेक्ट ऑफिस में ओपन हाउस होगा। यह मधुबनी चौक में है और पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन के पास है। सुबह 9 बजे से 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। यहां कोई भी आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान उन्हें अपने सुझाव की एक कॉपी देनी होगी। ओपन हाउस दो सत्र में चलेगा। पहला सत्र सुबह 10 बजे से डेढ़ बजे तक और दूसरा सत्र सवा दो बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इसी तरह 1 मई को नॉर्थ-2 में ओपन हाउस होगा। यहां मास्टर प्लान के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट दिल्ली-1, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली-2 और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली-3 जोन पर चर्चा होगी। इसमें अशोक विहार, शालीमार बाग, बादली, पीतमपुरा, बवाना, रोहिणी प्रोजेक्ट और मंगोलपुरी एरिया आते हैं। यह हाउस भी डीडीए के रोहिणी प्रोजेक्ट ऑफिस में ही होगा।

बीजेपी ने की मांग : बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक्सपर्ट कमिटी और अर्बन डिवेलपमेंट मिनिस्टर से मांग की है कि मास्टर प्लान रिव्यू में ऐसे नियम न बनाएं जिससे दिल्ली में अनियोजित निर्माण की बाढ़ आ जाए। जमीनी सच्चाई और दिल्ली की आबादी की जरूरत को देखते हुए ही व्यावहारिक मास्टर प्लान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड प्राइवेट प्लॉट मालिकों को सिर्फ 2.5 मंजिला भवन निर्माण पर ही पानी के कनेक्शन जारी करता है जबकि मास्टर प्लान में 15 मीटर तक ऊंची बिल्डिंग बनाने का प्रावधान है। जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और लोग गलत तरीके से पानी का कनेक्शन लेने को मजबूर हैं।

पंखे से लटककर डॉक्टर ने दी जान

वस ॥ दिलशाद गार्डन : लेडी हार्डिंग अस्पताल की एक सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने घर में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने ...

'त्याग में ही सुख'

नप्र ॥ नई दिल्ली : ध्यान तीर्थ ...

चुनाव खत्म, एमसीडी की तोड़फोड़ शुरू

प्रस ॥ नई दिल्ली : नगर निगम चुनाव खत्म होते ही एमसीडी ने एक बार फिर ...

एमसी...

दि...

दिलबर ...

एमसीडी ... शर्मनाक ... हाईकमा... के नेता... पूर्व प्रदे... नेता भी ... नती... कांग्रेस ... तो हुई ... संतुष्ट न... शीला ... बातची... संभवत... को ट्रां... चुके ... मुलाक... प्र... रही ... वजह ... नाक... रही ... पल्ल... तरह ... ने ...

(3)